

20/06/24 - वकील वादी उपस्थित नहीं। वादी ह्वॉप
भी उपस्थित नहीं। इन्को अनुपस्थित वा वर
कोई कारण भी पेशा नहीं हुआ। वार- 2
आवाज लगावाई गई। फिर, यह वाद-पक्ष
अदम वैरवी अदम हंपरी में खारिज किया
जाता है।
पक्षवली निधि में शुमार की जाकर
नम्बर से कम हो तथा वरतीष वकमील होकर
दाखिल दाखल हो। &

उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरु)